पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर

क्रमांक / 2459 / अका. / 2010 रायपुर, दिनांक 4 दिसंबर, 2010

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक मंगलवार, दिनांक 23.11.2010 को अपराह्न 3.00 बजे कुलपति कक्ष में संपन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए :–

1.	डॉ.एस.के.पाण्डेय,	कुलपति –	अध्यक्ष
2.	प्रो.(श्रीमती) प्रोमिला सिंह	–	सदस्य
3.	प्रो. अब्दुल अलीम खान	–	सदस्य
4.	प्रो. आर.पी. दास	–	सदस्य
5.	प्रो. ए.के. पति	–	सदस्य
6.	प्रो. विभूति राय	–	सदस्य
7.	प्रो. शैलेन्द्र कुमार सिंह	–	सदस्य
8.	डॉ. अंजनी कुमार शुक्ला	–	सदस्य
9.	श्री एस.के.चक्रवर्ती	–	सदस्य
10.	श्री अशोक लोहिया	–	सदस्य
11.	डॉ. रवि भोई	–	सदस्य
12.	डॉ. उज्जवल पाटनी	–	सदस्य
13.	श्री देवजी भाई पटेल	–	सदस्य
14.	श्री रामजी भारती	–	सदस्य
15.	डॉ. शिवकुमार डहरिया	–	सदस्य
16.	श्री के.के.चन्द्राकर, कुलसचिव	–	सचिव

डॉ.रवि भोई, वरिष्ठ पत्रकार एवं स्थानीय संपादक, नई–दुनिया का कार्यपरिषद के नवनियुक्त सदस्य के रूप में स्वागत किया गया। डॉ. उज्जवल पाटनी, सदस्य, कार्यपरिषद को राज्योत्सव के अवसर पर सामाजिक क्षेत्र में सेवा एवं सर्वोत्कृष्ट योगदान के लिए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा सम्मानित किए जाने पर विश्वविद्यालय परिवार की ओर से बधाई दी गई।

डॉ.एस.के.मुखर्जी एवं डॉ.जी.बी. गुप्ता, कार्यपरिषद सदस्य के रूप में दिनांक 21.11.2010 तक चिकित्सा सेवा में रहते हुए अपना अमूल्य समय देकर, कार्यपरिषद में उपस्थित होकर महत्वपूर्ण सुझाव एवं सहयोग विश्वविद्यालय को देते रहे, इस हेतु विश्वविद्यालय परिवार की ओर से उनके प्रति आभार व्यक्त किया गया।

कार्यवृत्त :

विषय कमांक–1

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 18.10.2010 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करना।

निर्णय : **विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 18.10.2010 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि की गई।**

विश्वविद्यालय के सुरक्षा व्यवस्था हेतु एक वर्ष के लिए न्यूभारत सिक्युरिटी एवं डिटेक्टीव सर्विसेस, नागपुर को 30 अगस्त, 2010 तक के लिए अनुबंधित किया गया था। आगामी एक वर्ष की सुरक्षा व्यवस्था हेतु निविदा सूचना क्रमांक 131/विकास, दिनांक 24.07.2010 को राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराया गया। निविदा दिनांक 26.08.2010 को खोली गई। सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में प्राप्त निविदाओं के निराकरण हेतु गठित समिति के समक्ष बंद लिफाफा को दिनांक 25.09.2010 को निविदाकर्ताओं की उपस्थिति में खोला गया। समिति ने एक निविदा फार्म को उपयुक्त पाया एवं 09 फर्म की निविदा को अनुपयुक्त पाया । पुनः निविदा आहूत करने की अनुशंसा किया गया।

सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए पूर्व में कार्यरत सुरक्षा से संबंधित संस्थान न्यूभारत सिक्युरिटी एवं डिटेक्टीव सर्विसेस, नागपुर को विश्वविद्यालय में आगामी व्यवस्था होते तक वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में 30 नवंबर, 2010 तक कार्य करने हेतु स्वीकृति दी गई। कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 18.10.2010 में चर्चा हुई, जो कार्यवृत्त में त्रुटिवश शामिल नहीं हो सका। अतः इसे अध्यक्ष की अनुमति से शामिल किया जावे। उपरोक्त अनुशंसा के साथ कार्यपरिषद की बैठक में दिनांक 18.10.2010 के कार्यवृत्त की संपुष्टि प्रदान की गई।

विषय कमांक–2

विश्वविद्यालय विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 12.10.2010 एवं 28.10.2010 के कार्यवृत्त को अनुमोदन प्रदान करना।

निर्णय : विश्वविद्यालय विद्यापरिषद के स्थायी समिति की बैठक दिनांक 12.10.2010 एवं 28.10.2010 के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया।

विषय कमांक–3

डॉ. सुभाष चन्द्राकर, कार्यकम समन्वयक, राष्ट्रीय सेवा योजना के पद पर (प्रतिनियुक्ति पर) कार्यभार ग्रहण की सूचना ग्रहण करना।

निर्णय : डॉ. सुभाष चन्द्राकर, कार्यकम समन्वयक, राष्ट्रीय सेवा योजना के पद पर (प्रतिनियुक्ति पर) कार्यभार ग्रहण करने की सूचना ग्रहण की गई।

विषय कमांक–4

विश्वविद्यालय अध्ययनशाला के बी.ए.एल.एल.बी. पाठ्यकम का आय एवं संभावित व्यय के संबंध में विचार करना।

निर्णय : अध्ययन–अध्यापन हेतु विश्वविद्यालय बजट वर्ष 2010–11 में अन्य मद से व्यवस्था करने का अनुमोदन प्रदान किया गया। विश्वविद्यालय अध्ययनशाला के बी.ए.एल.एल.बी. पाठ्यकम के आय एवं संभावित व्यय के संबंध में विस्तृत चर्चा हुई एवं सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि आगामी सत्र से प्रत्येक छात्र का शुल्क रु. 10,000/– लेने की अनुमति प्रदान की गई।

विषय क्रमांक–5

डॉ. संजय तिवारी, रीडर, इलेक्ट्रानिक्स अध्ययनशाला को विदेश यात्रा की अनुमति के संबंध में विचार करना।

निर्णय : डॉ. संजय तिवारी, रीडर, इलेक्ट्रानिक्स अध्ययनशाला को पूर्व में स्वीकृत कर्तव्य अवकाश अवधि के मध्य विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्वीकृति के परिप्रेक्ष्य में फुलब्राइट योजना के तहत दिनांक 01.12.2010 से 31.07.2011 तक कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, शांताकुज में जाने की अनुमति प्रदान की गई।

विषय क्रमांक–6

जैविकी अध्ययनशाला के लिए उपकरण क्रय हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

निर्णय : जैविकी अध्ययनशाला के लिए DRS-SAP Phase-II के अंतर्गत स्वीकृत राशि रु. 56,00,000/– (रु. छप्पन लाख) के अंतर्गत निर्धारित उपकरण क्रय नियमानुसार क्रय की आगामी कार्यवाही करने हेतु अनुमति प्रदान की गई।

विषय क्रमांक–7

डॉ.(श्रीमती) भावना अग्रवाल, मानसेवी चिकित्सक के मानदेय में वृद्धि रु. 5000/– से रु. 10,000/– किए जाने के संबंध में विचार करना।

निर्णय : डॉ. (श्रीमती) भावना अग्रवाल, मानसेवी चिकित्सक के मानदेय में वृद्धि करने संबंधी प्रस्ताव पर विचार–विमर्श के पश्चात् निर्णय लिया गया कि रु. 8000/– (रु. आठ हजार मात्र) प्रतिमाह मानदेय प्रदान करने की स्वीकृति दी गई तथा यह भी निर्णय लिया गया कि प्रत्येक दिवस वे विश्वविद्यालय में दो घंटा अनिवार्य रूप से सेवा देंगे तथा अतिआवश्यक होने पर वे अन्य समय में भी सेवा देंगे।

विषय क्रमांक–8

डॉ. हेमन्त शर्मा, उच्च वर्ग लिपिक–2 के आवेदन पत्र दिनांक 26.07.2010 (लेखापाल पदनाम एवं दो अग्रिम वेतनवृद्धि स्वीकृत किये जाने के संबंध में) विचार करना।

निर्णय : डॉ. हेमन्त शर्मा, उच्च वर्ग लिपिक–2 के आवेदन पत्र दिनांक 26.07.2010 के संबंध में प्रस्ताव पर नियमानुसार उन्हें अधीनस्थ लेखा सेवा विभागीय परीक्षा भाग–2 उत्तीर्ण करने के एवज में शासन के नियमानुसार दो अग्रिम वेतनवृद्धि प्रदान करने का अनुमोदन किया गया।

क्रमांक–9

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ, रायपुर के मांगों के संबंध में विचार करना।

निर्णय : (1) कर्मचारी संघ, पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के मांगों के संबंध में विचार–विमर्श के बाद सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि शासन स्तर पर छठवें वेतनमान की औपचारिक स्वीकृति के संबंध में प्रयास करने हेतु कार्यपरिषद के सदस्यों की निम्नलिखित समिति का गठन करने का अनुमोदन किया गया :

1. सर्वश्री देवजी भाई पटेल, विधायक एवं सदस्य कार्यपरिषद – समन्वयक
2. श्री कुलदीप जुनेजा, विधायक एवं सदस्य कार्यपरिषद
3. डॉ. शिवकुमार डहरिया, विधायक एवं सदस्य कार्यपरिषद
4. श्री रामजी भारती, विधायक एवं सदस्य कार्यपरिषद
5. डॉ. रवि भोई, वरिष्ठ पत्रकार एवं सदस्य कार्यपरिषद
6. प्रो. आर.पी.दास, सदस्य कार्यपरिषद

यह समिति शासन स्तर पर संयुक्त रूप से प्रयास कर छठवें वेतनमान की औपचारिक स्वीकृति दिलाने में सहयोग करेगी, ताकि मार्च 2011 के पहले तक संबंधितों को पात्रतानुसार एरियर्स का भुगतान किया जा सके।

(2) क्रीडा एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम के संबंध में अधिष्ठाता, छात्रकल्याण एवं संचालक, शारीरिक शिक्षा विभाग कर्मचारियों के प्रतिनिधि से चर्चा कर विस्तृत कार्य–योजना प्रस्तुत करेंगे, जिसे आगामी कार्यपरिषद में प्रस्तुत किया जावे।

पूरक विषयसूची :

क्रमांक–1

विश्वविद्यालय विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 18.11.2010 के कार्यवृत्त को संपुष्टि प्रदान करना।

निर्णय : विश्वविद्यालय विद्यापरिषद के स्थायी समिति की बैठक दिनांक 18.11.2010 के कार्यवृत्त की संपुष्टि प्रदान की गई।

विषय क्रमांक–2

सत्र 2010–11 के संबंध में परीक्षा फार्म मुद्रण एवं रिजल्ट प्रोसेसिंग करने हेतु DPC/CPC की अनुशंसा के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय : सत्र 2010–11 के परीक्षा फार्म मुद्रण एवं रिजल्ट प्रोसेसिंग करने हेतु DPC/CPC के द्वारा अनुशंसित फर्म 3 पीएसडी अहमदाबाद के द्वारा निम्नानुसार निर्धारित दर पर कार्य कराने हेतु अनुमोदन किया गया।

1	परीक्षा आवेदन पत्र मुद्रण	रु. 0.45 प्रति पृष्ठ
2	ओ.एम.आर. शीट	रु. 1.55 प्रति शीट
3	परीक्षा पूर्व कोरी ओ.एम.आर. शीट	रु. 7.40 प्रति छात्र
4	परीक्षा पूर्व कार्य बिना ओ.आर.एम. शीट सहित	रु. 6.40 प्रति छात्र
5	परीक्षा पश्चात कार्य	रु. 6.90 प्रति छात्र
6	पुनर्मूल्यांकन कार्य	रु. 6.90 प्रति छात्र
7	पूरक परीक्षा कार्य	रु. 6.90 प्रति छात्र
8	डिग्री सर्टीफिकेट प्रिंटिंग एंड मेकिंग डिग्री	रु. 18.00 प्रति नग

यह भी निर्णय लिया गया कि परीक्षा आवेदन पत्र का दर रु. 100/– (रु. एक सौ मात्र) निर्धारित किया जाय।

विषय क्रमांक–3

मयंक राजपूत की स्मृति में एम.एस–सी. कम्प्युटर साइंस में स्वर्ण–पदक प्रदान किए जाने की रेग्युलेशन का अनुमोदन करना।

निर्णय : मयंक राजपूत की स्मृति में एम.एस–सी. कम्प्युटर साइंस में स्वर्ण–पदक प्रदान किए जाने के रेग्युलेशन को अनुमोदन प्रदान किया गया।

विषय क्रमांक–4

पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर क्रीडा समिति की बैठक दिनांक 10.11.2010 के कार्यवृत्त के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय : पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर क्रीडा समिति की बैठक दिनांक 10.11.2010 के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया।

विषय क्रमांक 5

11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत Merged Scheme में स्वीकृत अनुदान की सूचना ग्रहण करना।

निर्णय : 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत Merged Scheme में रु. 2,44,21,000/– (रु दो करोड़ चौवालीस लाख इक्कीस हजार मात्र) की स्वीकृति संबंधी सूचना ग्रहण की गई।

विषय क्रमांक–6

विश्वविद्यालय के सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में गठित समिति की अनुशंसा कार्यपरिषद के अनुमोदन हेतु विचारार्थ।

निर्णय : विश्वविद्यालय के सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में गठित समिति की अनुशंसा अनुसार समिति द्वारा निर्धारित न्यूभारत सिक्युरिटी एवं डिटेक्टीव सर्विसेस, नागपुर को आगामी एक वर्ष के लिए समिति द्वारा अनुशंसित दर रु. 3927/–(रु. तीन हजार नौ सौ सत्ताईस मात्र) प्रतिव्यक्ति प्रतिमाह पर सुरक्षा गार्ड एवं गनमेन रखने का अनुमोदन किया गया।

विषय क्रमांक–7

एम.ए.(पूर्व) भूगोल के त्रुटिपूर्ण परीक्षा परिणाम पर विचार करना।

निर्णय :

1. एम.ए.(पूर्व) भूगोल के त्रुटिपूर्ण परीक्षा परिणाम के संबंध में विभाग द्वारा प्रस्तुत टीप पर विचार–विमर्श के पश्चात् निर्णय लिया गया कि प्रभावित छात्र-छात्राओं का परीक्षा परिणाम पाठ्यक्रम में निर्धारित परीक्षा स्कीम के आधार पर संशोधित परिणाम घोषित किया जाय।
2. परीक्षा परिणाम बनाने वाले डाटा साफ्ट केंद्र, दिल्ली को भविष्य में विश्वविद्यालय द्वारा कोई कार्य न दिया जाय।
3. परीक्षा समिति के सदस्यों को भी सूचित किया जाय कि, जब भी परीक्षा समिति की बैठक हो, स्कीम के आधार पर सेम्पल चेकिंग अवश्य की जाय, जिससे इस प्रकार की त्रुटि की संभावना न हो।
4. यदि इससे प्रभावित कोई छात्र पुनर्मूल्यांकन चाहते हैं तो इसकी सुविधा प्रदान की जाय तथा पुनर्मूल्यांकन के पश्चात भी यदि छात्र अनुत्तीर्ण हो जाते हैं तथा कहीं प्रवेश ले चुके हैं तो उन्हें एम.ए. अंतिम वर्ष भूगोल की परीक्षा के साथ–साथ भी एम.ए.पूर्व भूगोल की परीक्षा देने की अनुमति प्रदान की जाय।
5. गोपनीय विभाग के उपकुलसचिव या उनकी अनुपस्थिति में कोई अन्य प्रभारी अधिकारी प्रत्येक रिजल्ट के बारे में प्रथमतः परीक्षण करे। जब भी बैठक आयोजित हो संपूर्ण विवरण परीक्षा समिति के समक्ष प्रस्तुत की जाय, जिसमें उपकुलसचिव या इनकी अनुपस्थिति में कोई अन्य प्रभारी अधिकारी निश्चित रूप से उपस्थित रहें। परिणाम घोषित करने के संबंध में भी बैठक गोपनीय विभाग में आयोजित किया जाकर ही परिणाम घोषित किया जावे तथा यह भी निर्णय लिया गया कि परीक्षा समिति के लिए निर्धारित सदस्यों के अतिरिक्त एक अन्य विषय–विशेषज्ञ भी कुलपति की ओर से प्रत्येक परीक्षा के लिए नामांकित किया जाय।

विषय क्रमांक–8

छात्र श्री हरजीत सिंह चावला के प्रकरण पर विचार करना।

निर्णय : छात्र श्री हरजीत सिंह चावला, एल.एल.एम. भाग–2, द्वितीय सेमेस्टर, नवंबर 2009 के लॉ आफ टार्ट्स एवं स्पेशिफाईड टार्ट्स स्पेशल टॉपिक्स के पुनर्मूल्यांकन के फलस्वरूप कम अंक प्राप्त होने के बाद छात्र के आवेदन पत्र पर पूर्व में कार्यपरिषद की बैठक में लिए गए निर्णय एवं परीक्षा समिति की अनुशंसानुसार हस्तलिपि विशेषज्ञ से परीक्षण कराया गया। हस्तलिपि विशेषज्ञ ने परीक्षणोपरांत निम्नलिखित निष्कर्ष दिया है **"From above mentioned observation, I came to the conclusion that both the sets are having common penmanship and writer had**

disguise (Q1) signature and body formation of revaluation form." जिसे सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। छात्र द्वारा विभिन्न दैनिक समाचार पत्रों एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से विश्वविद्यालय की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया गया, जो दुर्भाग्यजनक है तथा विश्वविद्यालय के विकास के लिए उचित नहीं है। निश्चित रूप से इस घटना से विश्वविद्यालय की बदनामी हुई है, जिसकी भरपाई करना संभव नहीं है। निर्णय लिया गया कि इस संबंध में छात्र पुनर्मूल्यांकन परिणाम को स्वीकार करते हुए अपना माफीनामा विश्वविद्यालय को लिखित में प्रस्तुत करें। अन्यथा विश्वविद्यालय प्रकरण में नियमानुसार आगामी कार्यवाही करेगा। छात्र द्वारा घटनाक्रम को स्वीकार करते हुए क्षमायाचना लिखित में देने पर ही उन्हें नियमानुसार पुनः पुनर्मूल्यांकन के लिए (उनके द्वारा आवेदन करने के पश्चात) अनुमति दिया जावे तथा इस आवेदन में छात्र को यह भी दर्शाना होगा कि इसके बाद जो परिणाम आएगा, मानने के लिए बाध्य होंगे।

विषय कमांक–9

छात्र श्री अभिषेक गुप्ता के प्रकरण पर विचार करना।

निर्णय : छात्र श्री अभिषेक गुप्ता, बी.ए.एल.एल.बी., प्रथम सेमेस्टर, अनुकमांक 46003 के प्रकरण पर हस्तलिपि विशेषज्ञ से लिखित उत्तरपुस्तिका का परीक्षण कराया गया। हस्तलिपि विशेषज्ञ ने परीक्षणोपरांत निम्नलिखित निष्कर्ष दिया है– **"From above mentioned observation, I came to the conclusion that Answer sheet no 145391 and 1273447 for History for dt. 26.02.2010 was executed in two stretches at two different times with fraudulent insertion of page no. 27 to 30 in answer sheet by the same and one person."**
"From above mentioned observation, I came to the conclusion that Answer sheet no 201489 for Philosophy for dt. 04.03.2010 was executed in two stretches at two different times with fraudulent insertion of page no. 19 to 22 in answer sheet by the same and one person." जिसे सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। इस प्रकरण में भी छात्र द्वारा विश्वविद्यालय की छवि को दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से, एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से धूमिल करने का संपूर्ण प्रयास किया है, जिसकी भरपाई करना संभव नहीं है। निश्चित रूप से यह एक प्रकार से आपराधिक प्रकरण है तथा इस प्रकरण में छात्र का साथ देने वाले अन्य व्यक्ति भी हो सकते हैं, जिसकी जानकारी संबंधित छात्र दे सकता है। अतः प्रकरण पर संपूर्ण जांच के लिए निम्नानुसार समिति गठित करने का अनुमोदन किया गया :

1. श्री अशोक लोहिया, सदस्य कार्यपरिषद
2. डॉ. बालासुब्रमण्यम, प्राचार्य, शास. छत्तीसगढ़ महाविद्यालय, रायपुर
3. श्री विनोद कुमार एक्का, उपकुलसचिव, गोपनीय विभाग

समिति इस प्रकरण पर अपना रिपोर्ट कार्यपरिषद की आगामी बैठक के पहले प्रस्तुत करेगी।

विषय कमांक–10

छात्र श्री सौरभ मिश्रा के प्रकरण पर विचार करना।

निर्णय : छात्र श्री सौरभ मिश्रा, एम.जे.एम.सी. (पूर्व) सत्र 2009–10 अनुकमांक 616016 के थ्योरिस ऑफ कम्युनिकेशन एंड रिसर्च एवं रायटिंग फार मीडिया एंड एडवांस एडिटिंग के पुनर्मूल्यांकन के फलस्वरूप कम अंक प्राप्त होने के बाद छात्र के आवेदन पत्र पर पूर्व में कार्यपरिषद की बैठक में लिए गए निर्णय एवं परीक्षा समिति की अनुशंसानुसार हस्तलिपि विशेषज्ञ से परीक्षण कराया गया। हस्तलिपि विशेषज्ञ ने परीक्षणोपरांत निम्नलिखित निष्कर्ष दिया है– **"From above mentioned observation, I came to the conclusion that both the sets are having common penmanship and writer had disguise (Q1) body formation of revaluation form."** जिसे सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। छात्र द्वारा विभिन्न दैनिक समाचार पत्रों एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से विश्वविद्यालय की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया गया, जो

दुर्भाग्यजनक है तथा विश्वविद्यालय के विकास के लिए उचित नहीं है। निश्चित रूप से इस घटना से विश्वविद्यालय की बदनामी हुई है, जिसकी भरपाई करना संभव नहीं है। निर्णय लिया गया कि इस संबंध में छात्र पुनर्मूल्यांकन परिणाम को स्वीकार करते हुए अपना माफीनामा विश्वविद्यालय को लिखित में प्रस्तुत करे। अन्यथा विश्वविद्यालय प्रकरण में नियमानुसार आगामी कार्यवाही करेगा। छात्र द्वारा घटनाक्रम को स्वीकार करते हुए क्षमायाचना लिखित में देने पर ही उन्हें नियमानुसार पुनः पुनर्मूल्यांकन के लिए (उनके द्वारा आवेदन करने के पश्चात) अनुमति दिया जावे तथा इस आवेदन में छात्र को यह भी दर्शाना होगा कि इसके बाद जो परिणाम आएगा, मानने के लिए बाध्य होंगे।

अध्यक्ष की अनुमति से..

निर्णय कमांक–1

डा. मनीष कुमार राय, रीडर, रसायन अध्ययनशाला के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत प्रकरण कमांक 3433/2010 पर हुए निर्णय (जो दिनांक 12.07.2010) को हुए हैं, के संबंध में कार्यपरिषद के समक्ष प्रस्तुत किये गये प्रकरण पर विचार–विमर्श के पश्चात यह प्रकाश में आया कि पूर्व में जब कार्यपरिषद में प्रकरण प्रस्तुत किया गया था, तब इस प्रकरण कमांक 3433/2010 के स्थगन के संबंध में कार्यालय द्वारा जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई, न ही संबंधित विश्वविद्यालय की ओर से संबंधित अधिवक्ता के द्वारा इसकी जानकारी दी गई। अर्थात कार्यपरिषद को भी अंधेरे में रखा गया। प्रकरण कमांक 1749/2010 पहले ही खारिज हो चुका है। प्रकरण कमांक 2105/2010, प्रकरण कमांक 3433/2010 में प्राप्त स्थगन के परिप्रेक्ष्य में खारिज किए गए हैं। अतः इतनी लंबी अवधि बीतने के बाद भी विश्वविद्यालय को सही जानकारी नहीं मिल पाना दुर्भाग्यजनक है। डॉ. मनीष कुमार राय को लिखित में सूचना देने एवं मौखिक में जानकारी देने के बाद भी उन्होंने एक प्रतिलिपि प्रदान करते हुए यह जानकारी दी है कि यह पत्र उन्होंने दिनांक 14.07.2010 को ही कार्यालय में प्रस्तुत कर दिया है। जबकि यह पत्र के लिए एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से पावती प्राप्त की है। उन्होंने विश्वविद्यालय कार्यालय में नहीं दिए जाने की जानकारी दी । इस प्रकार निश्चित रूप से डॉ. मनीष कुमार राय ने विश्वविद्यालय को अंधेरे में रखा है। इसलिए उन्हें स्पष्टीकरण जारी किया जाय। संबंधित कर्मचारी को भी स्पष्टीकरण जारी किया जाय कि उन्होंने पत्र कब प्राप्त किया और क्यों संबंधित प्रभारी को उक्त पत्र नहीं दिया, जिसके लिए विश्वविद्यालय को पत्र भी लिखना पड़ा। प्रकरण पर यह भी निर्णय लिया गया कि इस प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में सुनवाई के लिए संबंधित अधिवक्ता को आवेदन लिखने हेतु पत्र लिखा जावे।

कमांक–2

आदर्श कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, नई गंज मंडी, पंडरी, रायपुर के प्राचार्य पद के लिए डॉ.एम. डी. यदु की नियुक्ति के लिए चयन समिति द्वारा अनुशंसा का अनुमोदन किया गया।

विवेकानंद इंस्टीट्यूट आफ एजुकेशन, विवेकानंद विद्यापीठ, रामकृष्ण परमहंस नगर, कोटा, रायपुर एवं प्रिंसेस गर्ल्स कॉलेज, आर.टी.ओ. बिल्डिंग, देवपुरी, रायपुर के प्राचार्य पद के लिए चयन समिति ने किसी भी उम्मीद्वार को उपयुक्त नहीं पाया।

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य निर्णय :

1. कुलपति जी ने कार्यपरिषद के सभी सदस्यों को अवगत कराया कि विश्वविद्यालय के सत्रहवें दीक्षांत–समारोह के लिए डॉ. के. राधाकृष्णन, अध्यक्ष, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने मुख्य अतिथ्य हेतु स्वीकृति प्रदान की है। अतः कार्यपरिषद ने इसे सर्वसम्मति से अनुमोदन करते हुए यह विचार व्यक्त किया कि यह विश्वविद्यालय के साथ–साथ छत्तीसगढ के लिए गौरव की बात है। सत्रहवें दीक्षांत–समारोह में परिनियम–1 में उल्लेखित प्रावधान के अतिरिक्त सर्वश्री रमेश बैस, पूर्व

केंद्रीय मंत्री एवं सांसद, रायपुर; श्री धरमलाल कौशिक, अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ विधानसभा; श्री बृजमोहन अग्रवाल, मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन; श्री राजेश मूणत, मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन; श्री रविन्द्र चौबे, नेता प्रतिपक्ष, छत्तीसगढ़ विधानसभा; एवं डॉ.(श्रीमती) किरणमयी नायक, महापौर, रायपुर को विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित करने का अनुमोदन सर्वसम्मति से किया गया।

2:1 माननीय कार्यपरिषद सदस्य श्री देवजी भाई पटेल ने सदस्यों के समक्ष यह जानकारी में लाया कि बी–एच.एम.एस. में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के लिए कोई भी स्वर्ण पदक प्रदान नहीं किया जा रहा है। अतः इस पर कार्यालयीन स्तर पर परीक्षण कर स्वर्ण पदक प्रदान करने की व्यवस्था किया जावे।

2:2 डॉ. किरण तिवारी, डागा कन्या महाविद्यालय, रायपुर के प्रकरण भी कार्यपरिषद के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसके लिए परीक्षण कर जानकारी देने हेतु संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद को अधिकृत किया गया।

3.(i) कार्यपरिषद सदस्य श्री रवि भोई द्वारा डॉ. जे.एल.भारद्वाज, प्रोफेसर, अर्थशास्त्र अध्ययनशाला, जो दिनांक 31.12.2010 को सेवानिवृत्त हो रहे हैं, के सेवावृद्धि संबंधी प्रकरण कार्यपरिषद के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसमें निर्णय लिया गया कि इस प्रकार के सभी प्रकरण नियमानुसार परीक्षण कर आय–व्यय का आकलन करते हुए कार्यपरिषद की आगामी बैठक में लाया जाय।

(ii) शिक्षकों के सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष से 65 वर्ष करने के प्रकरण पर शासन के निर्णय के अनुसार आगामी कार्यवाही करने का अनुमोदन किया गया।

4. डॉ. रवि भोई एवं डॉ. शिवकुमार डहरिया कार्यपरिषद सदस्यों द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रिक्त पदों के संबंध में भी जानकारी चाही गई एवं भर्ती के संबंध में विशेष अभियान प्रारंभ करने का जिक किया गया । इसी के साथ स्वीकृत पद, रिक्त पद, विज्ञापन तिथि एवं उन पर हुई नियुक्तियों की जानकारी चाही गई । जिस पर निर्णय हुआ कि समस्त जानकारी कार्यपरिषद की आगामी बैठक में दिया जावे।

5. कुलपति जी ने बैठक में यह भी जानकारी दी है कि अध्यादेश–4 एवं छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 49 संशोधन हेतु समन्वय समिति में भेजे गए हैं। अतः इस संबंध में निर्धारित योग्यता के अनुसार विज्ञापन जारी करने की कार्यवाही की जा रही है।

6. शिक्षकों के स्थायीकरण संबंधी प्रकरण कार्यपरिषद सदस्यों द्वारा जिक किये जाने पर कुलपति ने अवगत कराया कि इस संबंध में पूर्व बैठक में चर्चा होने के पश्चात निर्णय हो चुके हैं, फिर उक्त निर्णय के साथ आगामी बैठक में पुनः प्रस्तुत किया जावे।

अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् कार्यवाही संपन्न हुई।

कुलपति
अध्यक्ष

कुलसचिव
सचिव

पृ.कमांक/ 2460 /अका./2010 रायपुर, दिनांक 4 दिसंबर, 2010

प्रतिलिपिः

1. महामहिम कुलाधिपति के प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़, राजभवन, रायपुर
2. कार्यपरिषद के समस्त सदस्य,
3. समस्त विभागीय अधिकारी को इस निर्देश के साथ कि विभाग से संबंधित निर्णयों का पालन प्रतिवेदन इस विभाग को प्रेषित करने का कृपया कष्ट करें।
4. जनसंपर्क अधिकारी/अधिष्ठाता, छात्र कल्याण/वित्त नियंत्रक
5. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निज सहायक,

पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

कुलसचिव